फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता

अ0शा0 परिपत्र संख्या: डीजी-13 /2015

अरविन्द कुमार जैन,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांक मार्च 3 ,2015

विषयः- लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम(Prevention of Damage to Public Property Act 1984) के अर्न्तगत प्रथम सूचना अंकित कराये जाने के संबंध में।

प्रिय महोदय,

क्रिमिनल रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया है कि लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम(Prevention of Damage to Public Property Act 1984) की धारा 3/5 के अर्न्तगत वाद पंजीकृत किये जाते हैं, जो विधिक दृष्टि से अनुचित है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा-5 एक प्रक्रियात्मक धारा है।

2. उपरिलिखित अधिनियम की धारा 5 के प्राविधान निम्नानुसार हैः-

" 5.....जमानत के बारे में विशेष उपबन्ध -

धारा 3 या 4 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त या सिद्धदोष कोई व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में हो, जमानत पर नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि अभियोजन को इस प्रकार छोड़े जाने के लिये आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो।"

" 5.....Special provision regarding bail-

No person accused or convicted under any offence punishable under section 3 or section 4 shall, if in custody, be released on bail or his own bond unless the prosecution has been given an opportunity to oppose the application for such release."

3. उपर्युक्त अधिनियम की धारा-5 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त धारा एक प्रक्रियात्मक धारा है और जमानत आवेदन पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है। इसका कोई ताल्लुक किसी व्यक्ति द्वारा कारित किसी अपराध से नहीं है।

4. लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल धारा-3 या धारा-4 या दोनों धाराओं में पंजीकृत हो सकती है। दोषी जनों द्वारा कारित अपराध को किसी अन्य धारा में परिभाषित नहीं किया गया है। धारा-5 जैसी प्रक्रियात्मक धारा का जिक्र एक अपराध के रूप में लगातार करते रहने से अदालतों के समक्ष कठिनायी आती हैं तथा खेदजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है।

5. अतएव, एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्रान्तर्गत समस्त थानों को इस आशय का एक निर्देश जारी करें कि भविष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के समय इस प्रकार की त्रुटि न की जाय। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया जाय कि किसी भी थाने पर इस प्रकार की त्रुटि दुहराई जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त आदेशों को उच्चाधिकारियों द्वारा दरबार अथवा क्राइम मीटिंग्स के दौरान व अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारीगण के द्वारा आदेश कक्ष की कार्यवाहियों के दौरान अधीनस्थों को भली-भाँति संज्ञानित कराकर तद्नुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार जैन)

1-समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक (नाम से),
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज,
उत्तर प्रदेश।(नाम से)

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रशिक्षणाधीन अधि0/कर्मचारियों को विशेष रूप से संज्ञानित कराने हेतु।
2.पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4.अपर पुलिस महानिदेशक,रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
5.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।
6.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
7.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।